

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45005/स्थानान्तरण-पदस्थापन/2022 दिनांक 10.10.2022 द्वारा श्री दाना राम, प्रधानाचार्य राउमावि बालादेसर, लूणकरनसर जिला बीकानेर का स्थानान्तरण राउमावि देली तलाई, खाजूवाला जिला बीकानेर किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध श्री दाना राम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11032/2023 दाना राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2023 द्वारा याचिकार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष रिक्त पदों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा याचिकार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसरण में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के मधुमेह एवं हृदय रोग से ग्रस्त होने, स्थानांतरित स्थान के निवास स्थान से 350 कि.मी. दूर होने एवं विषम पारिवारिक परिस्थितियों के मददेनजर अपना पदस्थापन निवास स्थान के नजदीक राउमावि रामगढ़िया, भादरा जिला हनुमानगढ़ में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किए जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(30)शिक्षा-2/2021 जयपुर दिनांक 14.07.2022 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों जो कि पूर्व के सभी दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण में जारी किए गए हैं, के अनुसार गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण से पीड़ित कार्मिकों को ही स्थानांतरण में शिथिलता प्रदान किए जाने के निर्देश प्राप्त है।

जहां तक अपीलार्थी को निवास स्थान से 350 कि.मी. दूर स्थानांतरित किए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू. एल.सी. 2007(2) 276 में अवधारित किया गया है कि "So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rules." याचिकार्थी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई निहित अधिकार (VESTED RIGHT) नहीं है। याचिकार्थी राज्य सेवा के अधिकारी है और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता है। याचिकार्थी द्वारा स्थानांतरित स्थान पर कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। अतः याचिकार्थी श्री दाना राम का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हो।

(काना राम)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

सत्यमेव जयते

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/एबी/बी-2/याचिका/दाना राम/11032/2023

दिनांक: 26. SEP. 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक बीकानेर।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को शिविरा/माध्य/विधि/जोध/नि./29831/जे/23/4 के क्रम में
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री दाना राम, प्रधानाचार्य को सूचनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram

Designation: Director

Date: 2023.09.24 16:37 IST

Reason: Approver संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

RajKaj Ref No. : 4771960

